[1][x x x] विस्फोटक अधिनियम, 1884

[1884 का अधिनियम सं. 4]

विस्फोटकों के निर्माण, कब्जा, उपयोग, बिक्री, [1][परिवहन, आयात और निर्यात] को विनियमित करने के लिये अधिनियम

क्योंकि विस्फोटकों के निर्माण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, [1][परिवहन, आयात और निर्यात] को विनियमित किया जाना समीचीन है;

अतः एतद्द्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

1. संक्षिप्त नाम- (1) यह अधिनियम [1][x x x] **विस्फोटक अधिनियम, 1884** कहा जा सकेगा, और

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में होगा।

2. प्रारंभ- यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित सूचना द्वारा नियत करे।

3. 1875 के अधिनियम क्रमांक 12 के अंशों का विखंडन- दि इण्डियन पोर्ट्स ऐक्ट, 1889 (1889 का दसवाँ) की धारा 2 तथा द्वितीय अनुसूची द्वारा विखंडित।

[1][**4. परिभाषाएँ-** इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे,–

(क) "**वायुयान**" से ऐसी कोई मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रतिक्रिया से वायु की प्रतिक्रिया के द्वारा अवलम्ब प्राप्त कर सकती है और इसके अंतर्गत बैलून चाहे स्थिर हो या अस्थिर, वायुपोत, पतंग, ग्लाइडर और उड्डयन मशीनें आती हैं;

(ख) "**गाड़ी**" में कोई गाड़ी, बैगन, छकड़ा, ट्रक, यान, या भूमि द्वारा यात्रियों का माल ले जाने का अन्य कोई साधन, चाहे वह किसी भी रीति से चालित हो सके, सम्मिलित है;

(ग) "**जिला मजिस्ट्रेट**" किसी क्षेत्र के संबंध में जिसके लिये पुलिस आयुक्त नियुक्त हो, उसका पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत–

(1) ऐसे क्षेत्र में सम्पूर्ण या किसी भाग पर अधिकारियों का प्रयोग कर रहा हो, ऐसे क्षेत्र या भाग के संबंध में इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट कोई पुलिस उपायुक्त; और

(2) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होता है;

(घ) "**विस्फोटक**" से गन पाउडर, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लाइकोल, गनकाटन, डी-नाइट्रोटालवीन, ट्राय-नाइट्रो-ट्रॉलवीन, पिकरिक एसिड, डाय नाइट्रोफोनाल, ट्राय रेसोक्रिनॉल (स्टापिनक एसिड), साइक्लोट्रायम-थाइलीन-ट्रनीट्रेमाइन, पेंटाइरिथ्रीटॉल-ए, टेट्रानिट्रेट, टेट्रायल, नाइट्रोग्नीडाईन, लीड एजायड, लीड स्टाइफाइनेट, मरकरी फ्यूलिमीनेट या अन्य कोई धातु, डाइजोडाई-नाइट्रो-फीनॉल, रंगीन अग्नि और अन्य पदार्थ चाहे एकल रासायनिक सम्मिश्रण, या पदार्थों का मिश्रण, चाहे ठोस द्रव या गैस के रूप में विस्फोटक के द्वारा क्रियात्मक प्रभाव या पाइरोटेकनिक प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि से प्रयुक्त या विनिर्मित अभिप्रेत हैं, और इसके अंतर्गत फांग सिग्नल, आतिशबाजी, फ्यूज, रॉकेट, परक्यूशन केप, डिटोनटर, कोटरिज, सभी विवरण की गोला-बारूद और इस खंड में यथापरिभाषित विस्फोटक की प्रत्येक तैयारी और अनुकूलन होता है;

(ङ) "**निर्यात**" से भारत के बाहर के किसी स्थान की भूमि, समुद्र या वायु द्वारा भारत जाया जाना अभिप्रेत है;

(च) "**आयात**" में भारत से बाहर के किसी स्थान से भूमि, समुद्र या वायु द्वारा भारत में लाना अभिप्रेत है;

(छ) "**मास्टर**"–

(क) किसी जल या वायुयान के संबंध में पायलट, बन्दरगाह मास्टर, सहायक बन्दरगाह

---

[1] अधिनियम क्र. 32 सन् 1978 द्वारा विलोपित/प्रतिस्थापित।

मास्टर या घाट के मास्टर के अतिरिक्त तत्समय ऐसे जलयान या वायुयान के **प्रभार या नियंत्रण, यथास्थिति**, रखने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(ख) **किसी पोत की होने वाली** नौका के संबंध में उस पोत का मास्टर अभिप्रेत है;

(ज) **"विनिर्माण"** में विस्फोटक के संबंध में–

(1) विस्फोटक को उसके घटक भागों में विभाजित करने या विस्फोटक को तोड़ने या मिटाने या किसी नुकसान हुए विस्फोटक को प्रयोग के लिये ठीक बनाने; और

(2) विस्फोटक को पुनः बनाने, परिवर्तित करने या मरम्मत करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है;

(झ) **"विहित"** से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) **"जलयान"** के अंतर्गत कोई पोत, नौका चालित जलयान या नौवहन में प्रयुक्त अन्य विवरण का जलयान चाहे पतवारों द्वारा चालित हो या अन्यथा और मुख्यतः जल द्वारा मनुष्यों के प्रवहण के लिये बनाई कोई चीज और कसून होता है।]

5. विस्फोटकों के निर्माण, कब्जा, उपयोग, बिक्री, परिवहन, आयात और निर्यात के अनुज्ञापन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति- (1) केन्द्रीय सरकार, भारत किसी भी भाग के लिये, इस अधिनियम से संगत, उन नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन उसके अनुसार, विस्फोटकों के या विस्फोटकों के किसी विशिष्ट वर्ग के निर्माण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, [1][परिवहन, आयात और निर्यात] का विनियमन या निषेध करने के लिये, नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन नियम, अन्य के साथ निम्न विषयों में सभी या किन्हीं के लिये, उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति की जा सके,

(ख) फीस जो अनुज्ञप्ति के लिये प्रभारित की जावे और अन्य राशियां, (यदि कोई हों) जो आवेदकों द्वारा अनुज्ञप्ति के लिये किये जाने वाले व्ययों के प्रति भुगतान योग्य हों,

(ग) वह रीति जिसके अधीन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन किया जावे और वे विषय जो ऐसे आवेदनों में विनिर्दिष्ट किया जाता हो;

(घ) वह रूप जिसमें, और वे शर्तें जिन पर तथा जिनके अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जानी चाहिए;

(ङ) वह अवधि जिसके भीतर अनुज्ञप्ति प्रवृत्त रहेगी; और [1][x x x]

[1][(ङङ) प्राधिकारी, जिसे धारा 6-च के अधीन अपीलें प्रस्तुत की जा सकें, ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने की प्रक्रिया और कालावधि जिसके भीतर अपील प्रस्तुत की जायेगी, ऐसी अपीलों की बाबत संदत्त की जाने को फीस और परिस्थितियाँ जिनके अधीन ऐसे फीसें वापस हो सकें;

(ङ-ङ-क) विस्फोटकों की कुल मात्रा जो अनुज्ञप्तिधारी समय की दी गई अवधि में क्रय कर सकेगा;

(ङ-ङ-ख) विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विस्फोटकों के विनिर्माण, परिवहन, आयात या निर्यात के संबंध में की गई सेवाओं के लिये प्रभारित की जाने की फीस;]

(च) किसी विस्फोटक या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को नियमों के प्रवर्तन से पूर्णतया या किन्हीं शर्तों के अधीन विमुक्ति के लिये।

[1][(3) विलुप्त]

[1][**5-क. कतिपय विस्फोटकों की बाबत कारबार में लगे हुए व्यक्तियों का ऐसे कारबार को बिना अनुज्ञप्ति के निश्चित कालावधि के लिये करते रहना-** धारा 5 या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी बात के होने पर भी, भारतीय विस्फोटक (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व कोई व्यक्ति किसी विस्फोटक का विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात कर रहा था, जिसके लिये भारतीय

1. अधिनियम क्र. 32 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित/विलोपित/अंतःस्थापित।

स्फोटक (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा इसके संशोधन के पूर्व कोई अनुज्ञप्ति आवश्यक न थी, तब व्यक्ति ऐसे विस्फोटकों की बाबत बिना अनुज्ञप्ति के-

(क) ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन मास की कालावधि के लिये; या

(ख) यदि उक्त तीन मास की कालावधि के अवसान के पूर्व ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये आवेदन कर चुका हो तो ऐसे आवेदन के अंतिम निपटारे तक के लिये;

जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसा कारबार करते रहने का हकदार होगा ।]

6. विशेष रूप से भयानक विस्फोटकों का निर्माण करने, कब्जे में रखने के निषेध करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति- (1) पूर्वगामी धारा के अधीन बनाये गये नियमों में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा–

(क) पूर्णरूपेण या किन्हीं शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे भयानक प्रकृति के विस्फोटक का निर्माण करने, कब्जे में रखने या उसका आयात करने का निषेध कर सकती है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार की राय में अधिसूचना निर्गमित करना सार्वजनिक सुरक्षा के लिये इष्टकर हो ।

[1][(2) किसी विस्फोटक के संबंध में आयात के बारे में जिसकी इस धारा के अधीन अधिसूचना की हुई हो, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) प्रभावी होगा और जलयान, गाड़ी या वायुयान में ऐसे विस्फोटक हों जिसे कि वह इस अधिनियम के अधीन विनियमित या प्रतिषिद्ध किसी वस्तु के संबंध में और ऐसी वस्तु से युक्त जलयान, गाड़ी या वायुयान पर लागू होते हैं ।]

[1][(3) विलुप्त]

[1][**6-क. अल्पवय व्यक्तियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों द्वारा विस्फोटकों के विनिर्माण कब्जे, बिक्री या परिवहन का प्रतिषेध-** इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में कोई बात होने पर भी–

(क) कोई व्यक्ति–

(i) जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण न की हो; या

(ii) जो हिंसा या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के सिद्धदोष होने पर छः मास से कम न होने वाली अवधि के लिये दंडादिष्ट किया गया हो, दंडादेश के अवसान के पश्चात् पांच वर्षों की कालावधि के दौरान समय, या

(iii) जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन शान्ति बनाये रखने और सदाचरण के लिये बन्धपत्र के निष्पापदन के लिये आदेशित किया गया हो, बन्धपत्र की अवधि के दौरान किसी समय, या

(iv) जिसकी अनुज्ञप्ति चाहे विस्फोटक (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिये, इस अधिनियम के अधीन रद्द किया गया हो अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की तारीख से पांच वर्षों की कालावधि के दौरान किसी समय,

(1) किसी विस्फोटक का विनिर्माण; बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात नहीं करेगा, या

(2) किसी ऐसे विस्फोटक का कब्जा नहीं रखेगा जैसे केन्द्रीय सरकार उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सके,

(ख) कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति कोई विस्फोटक, बिक्री, परिदान नहीं करेगा या नहीं भेजेगा जिसका उसे ऐसी बिक्री, परिदान या भेजे जाते समय ज्ञान है या विश्वास करने का कारण है-

(i) खंड (क) के अधीन ऐसे विस्फोटक का विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, आयात, निर्यात या कब्जा रखना प्रतिषिद्ध हो, या

(ii) विकृतचित्त है ।]

1 अधिनियम क्र. 32 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित/विलोपित/अंतःस्थापित ।

[1][6-ख. **अनुज्ञप्तियों की मंजूरी-** (1) जहां कोई व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करता है, उस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये बनाये गये नियमों में विहित प्राधिकारी (इस अधिनियम में एतद्पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में निर्देशित) ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो; जैसी वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन लिखित रूप में आदेश द्वारा या तो अनुज्ञप्ति को मंजूर करेगा या उसे नामंजूर करेगा।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति मंजूर करेगा–

(क) जहां यह विस्फोटकों के विनिर्माण के लिये अपेक्षित हो, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि व्यक्ति जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति उपेक्षित है–

(i) तकनीकी जानकारी और विस्फोटकों के निर्माण में अनुभव रखता है, या

(ii) ऐसी तकनीकी जानकारी और अनुभव रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित करने का उपक्रम करता है या अपने नियोजन में रखता है; या

(ख) जहां यह किसी अन्य प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि व्यक्ति के पास, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उसे अभिप्राप्त करने के लिये अच्छे कारण हैं।

6-ग. अनुज्ञप्तियों से इन्कार- (1) धारा 6-ख में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी अनुज्ञापन प्राधिकारी कोई अनुज्ञप्ति मंजूर करने में इकार करेगा-

(क) जहां ऐसी अनुज्ञप्ति किसी प्रतिषिद्ध विस्फोटक की बाबत अपेक्षित है; या

(ख) जहां ऐसी अनुज्ञप्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है, जिसके अनुज्ञापन प्राधिकारी को-

(i) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा किसी विस्फोटक के विनिर्माण, कब्जा रखने, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात से प्रतिषिद्ध होने का, या

(ii) विकृत चित्त होने का, या

(iii) इस अधिनियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के लिये किसी अन्य कारण से ठीक न होने का,

विश्वास करने का कारण हो;

(ग) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी लोकशान्ति की सुरक्षा और लोक सुरक्षा के लिये ऐसी अनुज्ञप्ति की मंजूरी से इंकार करना आवश्यक समझे।

(2) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति की मंजूरी से इंकार करे ऐसे इंकार के लिये लिखित में कारण अभिलिखित करेगा और उसका एक संक्षिप्त कथन, मांगने पर उसे व्यक्ति को देगा, जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय न हो कि ऐसा कथन देना लोकहित में नहीं होगा।

6-घ. अनुज्ञापन प्राधिकारी विहित शर्तों में अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित करने को सक्षम है- धारा 6-ख के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति विहित शर्तों के अतिरिक्त ऐसी शर्तों से युक्त हो सकेगी, जैसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के ही विशिष्ट मामले में आवश्यक समझे।

6-ङ. अनुज्ञप्तियों का फेरफार, निलम्बन या प्रतिसंहरण- (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी शर्तों का फेरफार कर सकेगा, जिनके अध्यधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी, उनमें जो विहित हों उनके सिवाय, और उस प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्ति के धारक से लिखित में नोटिस द्वारा अनुज्ञप्ति को उसे ऐसे समय के भीतर परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा, जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी धारक के आवेदन पर भी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उनमें से विहित की गई के सिवाय फेरफार कर सकेगा।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिये जैसी वह उचित समझे, अनुज्ञप्ति का निलम्बन या अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर सकेगा–

1. अधिनियम क्र. 32 सन् 1978 द्वारा अतःस्थापित।

(क) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि अनुज्ञप्ति का धारक इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी विस्फोटक के विनिर्माण, कब्जे में रखने, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात करने को प्रतिषिद्ध है अथवा विकृत चित्त का है अथवा किसी कारण के लिये इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये ठीक नहीं है, या

(ख) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का निलम्बन या प्रतिसंहरण लोक सुरक्षा और शान्ति की सुरक्षा के लिये आवश्यक समझता है; या

(ग) यदि अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति के धारक या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करते समय, तात्विक जानकारी के आधार पर अभिप्राप्त की गई थी; या

(घ) यदि अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है; या

(ङ) यदि अनुज्ञप्ति का धारक उपधारा (1) के अधीन उसे अनुज्ञप्ति परिदत्त किये जाने की अपेक्षा करने के नोटिस का अनुपालन करने में असफल हो गया है।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी, उसके धारक के आवेदन पर भी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(5) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति की शर्तों में फेरफार या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण या निलम्बन का आदेश किया गया हो, वह उसके लिये लिखित के कारणों को अभिलिखित करेगा और अनुज्ञप्ति धारक को मांगने पर उसका एक संक्षिप्त कथन देगा जब तक कि किसी मामले में अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय न हो कि ऐसा कथन देना लोकहित में नहीं होगा।

(6) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के धारक को सिद्धदोष करने वाला कोई न्यायालय भी अनुज्ञप्ति का निलम्बन प्रतिसंहरण कर सकेगा :

परन्तु यदि अपील में या अन्यथा दोषसिद्धि अपास्त कर दी जाये तो निलम्बन या प्रतिसंहरण शून्य हो जायेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रतिसंहरण या निलम्बन का कोई आदेश उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय द्वारा उसकी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते समय भी किया जा सकता है।

(8) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन सम्पूर्ण भारत का उसके किसी भाग में मंजूर किसी या सभी अनुज्ञप्तियों का निलम्बन या प्रतिसंहरण कर सकेगी या अनुज्ञापन प्राधिकारी को निलम्बन या प्रतिसंहरण के लिये निदेश दे सकेगी।

(9) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहरण पर उसका धारक बिना विलम्ब के अनुज्ञप्ति का, उस प्राधिकारी को, जिसके द्वारा वह विलम्बित या प्रतिसंहरण की गई हो या ऐसे अन्य प्राधिकारी, को, जैसा निमित्त निलम्बन या प्रतिसंहरण के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सके, अभ्यर्पण कर देगा।

6-च. अपीलें- अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति की मंजूरी से इंकार करने या अनुज्ञापन की शर्तों में फेरफार के आदेश अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहरण करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को (एतद्पश्चात् अपील प्राधिकारी के रूप में निर्देशित) और ऐसी कालावधि में जैसी विहित की जाये, अपील प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार के द्वारा उसके निदेश के अधीन किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(2) कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी यदि वह उसके लिये विहित कालावधि के आवसान के पश्चात् प्रस्तुत की गई हो :

परन्तु कोई अपील उसके लिये विहित कालावधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी, यदि अपील प्राधिकारी का अपीलार्थी द्वारा समाधान कर दिया जाये कि उसके पास उस कालावधि में अपील प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण थे।

(3) अपील के लिये विहित कालावधि, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के उपबंधों

के अनुसरण में परिसीमाओं की कालावधि की संगणना की बाबत उपबंधों के अनुसरण में संगणित की जायेगी।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील लिखित में आवेदक द्वारा की जायेगी और आदेश के लिये, जिसके विरुद्ध अपील हो कारणों का संक्षिप्त, जहां ऐसा कथन अपीलार्थी को दिया गया है और ऐसी फीस के साथ ऐसी होगी, जैसी विहित की जाये।

(5) अपील के निपटारे में अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाये :

परन्तु कोई अपील निपटाई नहीं जायेगी जब तक कि अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(6) आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, जब तक कि अपील प्राधिकारी सशर्त या बिना शर्त अन्यथा निदेशित करे, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील के निपटारे के लम्बित रहने तक प्रवृत्त रहेगी।

(7) उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, पुष्टि, उपान्तरण उलट देने वाला अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।]

7. निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण, निरोध और हटाने की शक्तियाँ प्रदत्त करने के लिये नियम की शक्ति- (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम से संगत किसी अधिकारी को नामतः या पदेन-

(क) किसी स्थान, वायुयान गाड़ी या जलयान में प्रवेश करने, निरीक्षण करने या परीक्षा करने में जिसमें कोई विस्फोटक इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के अधीन निर्माण किया जा रहा हो, कब्जे में रखा, उपयोग, बेचा, परिवहन किया या आयात किया जा रहा हो या जिसमें उन किसी विस्फोटक के निर्माण, कब्जा, धारण, उपयोग, बिक्री, [1][परिवहन, आयात या निर्यात], इस अधिनियम के उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में, किये जा चुकने या किये जा रहे होने का विश्वास करने का कारण हो;

(ख) उसमें विस्फोटकों के लिये तलाशी लेने;

(ग) उसमें पाये जाने वाले विस्फोटकों के उसका मूल्य चुकाने पर नमूना लेने; और

[1][(घ) किसी विस्फोटक या उसके अवयव जो उसमें पाया जाये, को जब्त, परिरुद्ध या हटा सकेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो विस्फोटक या उसके अवयव को नष्ट कर सकेगा।]

(2) [1][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] के तलाशी संबंधी जहां तक वह लागू हो सके, इस धारा के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा तलाशियों पर लागू होंगे।

8. दुर्घटनाओं की सूचना- [2][(1)] जब कभी किसी स्थान में या उसके निकट या उससे संबंधित जहां कोई विस्फोटक बनाया, कब्जे में रखा या प्रयोग किया जा रहा हो, या [1][किसी वायुयान, गाड़ी या जलयान] में जो या तो कोई विस्फोटक वहन कर रही हो या जिस पर या जिससे कोई विस्फोट चढ़ाया या उतारा जा रहा हो, कोई दुर्घटना विस्फोटक या आग लग जाने के कारण हो जाय जिसके परिणाम में जन हानि या व्यक्ति तथा सम्पत्ति को हुई गंभीर क्षति या ऐसे विवरण की क्षति जिसका सामान्यतया परिणाम ऐसी हानि में होती है, हो जावे तो, स्थान का अधिवासी या [1][वायुयान या जलयान का स्वामी] या गाड़ी का प्रभारी, व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे समय में और ऐसी रीति से, जैसी नियमों द्वारा विहित की जावे उसकी तथा उससे होने वाले जनहानि या व्यक्ति को पहुँचे आघात की यदि कोई हों, [1][विस्फोटक के मुख्य नियन्त्रणी] और निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी को देगा।

[1][(2) विलोपित]

9. दुर्घटनाओं की जांच- (1) जब कभी कोई ऐसी दुर्घटना जैसी धारा 8 में निर्देशित की गई है [1][किसी ऐसे स्थान; वायुयान, गाड़ी या जलयान में] या उसके निकट या उससे संबंधित में, जो किसी भी वायुयान को [1][संघ के किसी सशस्त्र बल] के नियंत्रण में हो घटित हो जावे दुर्घटना के कारणों की जांच; उससे संबंधित नौ सेना, थल सेना या वायु सेना के प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और जांच दुर्घटना किन्हीं अन्य परिस्थितियों में घटित हुई हो, जिला मजिस्ट्रेट जन-हानि के मामलों में जांच करेगा या अपने किसी

1. अधिनियम क्र. 32 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित/विलोपित।
2. अध्यादेश क्र. 18 सन् 1945 द्वारा पुनःक्रमांकित।

अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को ऐसी जांच करने के लिये निर्देशित करेगा और अन्य दशाओं से जांच कर या करा सकता है।

(2) इस धारा के अधीन जांच करने वाला कोई व्यक्ति, को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि [1][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] के अधीन अपराध की जांच कर रहे मजिस्ट्रेट को है और वह किसी अधिकार का, जो किसी अधिकार को धारा 7 के अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा प्रदत्त किये गये हों, प्रयोग कर सकता है, जिनका प्रयोग करना यह जांच करने के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर समझे।

(3) इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को दुर्घटना के कारणों और उसकी परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट करेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार नियम बना सकेगी-

(क) इस धारा के अधीन जांच की प्रक्रिया विनियमित करने के लिये;

(ख) [1][विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक] को ऐसी जांच में उपस्थित रहने या अपना प्रतिनिधित्व करने को समर्थ बनाने के लिये;

(ग) [1][विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक] या उसके प्रतिनिधित्व को जांच के मध्य किसी साक्षी परीक्षा करने की अनुमति देने के लिये;

(घ) जहां [1][विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक] या उसका प्रतिनिधि जांच के समय उपस्थित न हो तो यह उपबंध करने के लिये कि कार्यवाही की रिपोर्ट उसको भेज दी जावे;

(ङ) यह समय और रीति विहित करने के लिये जिसमें धारा 8 में निर्देशित सूचना दी जावेगी।

9-क. अधिक गम्भीर दुर्घटनाओं में जांच- (1) जब केन्द्रीय सरकार का यह अभिमत हो, चाहे उसे धारा 9 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त हुई हो या न हुई हो कि धारा 8 में यथा-निर्देशित दुर्घटना के कारणों की अधिक औपचारिक जांच करने के लिये नियुक्त करेगी और ऐसी जांच [1][विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक] या अन्य किसी सक्षम व्यक्ति को ऐसी जांच करने के लिये नियुक्त करेगी और ऐसी जांच में सहायक के रूप में विधिक या विशेष ज्ञान प्राप्त एक या अधिक व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगी।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन जांच किये जाने को आज्ञा प्रदान करे वह यह भी निर्देशित कर सकेगी कि धारा 9 के अधीन तत्समय लम्बित कोई जांच बन्द कर दी जावे।

(3) इस धारा के अधीन जांच करने के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति को साक्षियों को उपस्थित रहने तथा दस्तावेज और वस्तुएं प्रस्तुत करने के लिये विवश करने वाली व्यवहार प्रक्रिया के अधीन व्यवहार न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्तानुसार ऐसे अधिकारी द्वारा किसी सूचना को दिये जाने की अपेक्षा की गई हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के प्रयोजनों के लिये ऐसा करने को विधिपूर्वक आबद्ध किया माना जावेगा।

(4) इस धारा के अधीन जांच करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 7 के अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा किसी अधिकारी को प्रदत्त किसी ऐसी शक्ति को जिसका वह जांच के प्रयोजन के लिये प्रयोग करना आवश्यक या इष्टकर समझे, प्रयोग कर सकेगा।

(5) इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को दुर्घटना के कारण और उसकी परिस्थितियाँ तथा ऐसे कोई निष्कर्ष को जिन्हें वह व उसके सहायक बनाना उपयुक्त समझे, दर्शाते हुए केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देगा और केन्द्रीय सरकार इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट की ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जैसी वह उचित समझे, प्रकाशित कर सकेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन की जाने वाली जांच की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये नियम बना सकेगी।

[1][9-ख. कतिपय अपराधों के लिये दंड- (1) जो कोई धारा 5 के अधीन बनाये गये नियमों या उपनियमों के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में-

(क) किसी विस्फोटक का विनिर्माण, आयात या निर्यात करता है, तीन वर्ष तक की अवधि के

1. अधिनियम क्र. 32 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित/अंतःस्थापित।

हो सकने वाले कारावास या पांच हजार रुपयों तक के हो सकने वाले जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा;

(ख) किसी विस्फोटक को रखता है, बिक्री, प्रयोग या परिवहन करता है, दो वर्ष तक के हो सकने वाले कारावास या तीन हजार रुपयों तक के हो सकने वाले जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा;

(ग) किसी अन्य मामले में एक हजार रुपये तक के हो सकने वाले जुर्माने से दंडनीय होगा।

(2) जो कोई धारा 6 के अधीन जारी अधिसूचना के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण या कब्जा या आयात करता है, तीन वर्ष तक हो सके ऐसे कारावास से या पांच हजार रुपयों तक के हो सकने वाले जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा और जल द्वारा आयात की दशा में जलयान का स्वामी और मास्टर अथवा वायु से आयात की दशा में वायुयान का स्वामी और मास्टर, जिसमें विस्फोटक आयात किया गया है; युक्तियुक्त कारण के अभाव में, प्रत्येक पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) जो कोई–

(क) धारा 6-क के खंड (क) में के उपबंधों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का निर्माण, बिक्री, परिवहन, आयात, निर्यात करता है या रखता है; या

(ख) उस धारा के खंड (ख) के उपबंधों का उल्लंघन किसी विस्फोटक को विक्रय, परिदान करता है, या भेजता है,

तीन वर्ष तक की अवधि के हो सकने वाले कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा; अथवा

(ग) धारा 8 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी दुर्घटना की सूचना देने में असफल रहता है–

(i) पांच सौ रुपयों तक के हो सकने वाले जुर्माने से; या

(ii) यदि दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई हो, तीन मास तक के हो सकने वाले कारावास या जुर्माने से या दोनों में दंडनीय होगा।

9-ग. कम्पनियों द्वारा अपराध- (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के द्वारा कारित हो, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित होते समय कम्पनी के प्रभार में था या कम्पनी के प्रति कम्पनी के कारोबार के संचालन का जिम्मेदार था और कम्पनी भी अपराध की दोषी समझी जायेगी और इसके विरुद्ध कार्यवाही के दायित्वाधीन होगी और तदनुसार दंडनीय होंगे :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के दंड का दायी नहीं बनायेगी, यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसके ज्ञान के बिना कारित हुआ था और उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

(2) उपधारा (1) में कोई बात अन्तर्विष्ट होने पर भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के द्वारा कारित हो, और साबित हो कि अपराध कम्पनी के किसी निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी का सम्मति या मौनानुकूलता के कारण कारित हुआ या की उपेक्षा के फलस्वरूप हुआ समझा जा सकता है, ऐसा निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और विरुद्ध कार्यवाहियों के दायित्वाधीन होगा और तदनुसार दंडित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिये-

(क) "कम्पनी" से कोई नियमित निकाय अभिप्रेत है और उसमें कोई फार्म या व्यक्तियों का अन्य संगम सम्मिलित होता है; और

(ख) "निर्देशक" से फर्म के संबंध में फर्म का पार्टनर अभिप्रेत है।]

10. विस्फोटक का समपहरण- जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जावे वह न्यायालय जिसके समक्ष वह दोषसिद्ध ठहराया गया हो, यह निर्देशित कर सकेगा कि वह विस्फोटक, उसके अंग या ऐसे पदार्थ जिसके संबंध में घटित हुआ हो या उस विस्फोटक, अंग या पदार्थ के किसी भाग का उसको समावेश करने वाले पत्र के सहित का समपहरण कर लिया लिया जाये।

[1][**11. वायुयान या जलयान का करस्थम-** जहां किसी वायुयान का स्वामी या मास्टर उस वायुयान का जलयान के संबंध में या से कारित किसी अपराध के लिये जुर्माने का संदाय करने को न्यायनिर्णीत किया जाता है, न्यायालय जुर्माने के संदाय के दबाव के लिये उसे प्राप्त अन्य शक्ति के अतिरिक्त उसे करस्थम और-

(क) वायुयान और उसका फर्नीचर या उतना फर्नीचर; या

(ख) जलयान और ऐसे जलयान के नौकोपकरण, सज्जा और फर्नीचर या उसके उतने नौकोपकरण; सज्जा और फर्नीचर;

की बिक्री के द्वारा, जैसा कि जुर्माने के संदाय के लिये आवश्यक हो, उद्ग्रहण करने का निर्देश दे सकेगा।]

12. दुष्प्रेरण और प्रयत्न करना- जो कोई भारतीय दंड संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी ऐसे अपराध का; जिसका करना इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये के अधीन दंडनीय हो, करने का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करता है और ऐसा अपराध करने की ओर प्रयत्न करने में कोई कार्य करता है, वह इस प्रकार दंडित किया जायेगा मानो उसने वह अपराध किया हो।

13. भयानक अपराध कर रहे व्यक्तियों को बिना अधिपत्र में गिरफ्तार करने की शक्ति- जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन दंडनीय अपराध को करता हुआ पाया जावे, और जिसकी प्रवृत्ति ऐसे स्थान में या उसके निकट जहां विस्फोटक का निर्माण या संग्रह किया गया हो या किसी रेलवे या बन्दरगाह या किसी गाड़ी, [1][वायुयान या जलयान] में या उसके निकट विस्फोटक करने या आग लगाने की हो, उसे किसी अधिपत्र के किसी पुलिस अधिकारी या उस स्थान के अधिवासी या उसके अभिकर्ता या उसके सेवक या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति या रेलवे प्रशासन या [1][बन्दरगाह के संरक्षक या हवाई पतन के प्रभारी अधिकारी] के किसी अभिकर्ता या सेवक या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा पकड़ा जा सकेगा और उसे उस स्थान में हटाया जा सकेगा जहां उसे गिरफ्तार किया गया हो और सुविधानुसार यथासम्भव शीघ्र मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जायेगा।

14. व्यावृत्ति और विमुक्त करने की शक्ति- (1) धारा 8, 9 और 9-क के सिवाय इस अधिनियम की कोई बात-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के अनुसार किसी [1][संघ के सशस्त्र बलों और आर्डिनेन्स फैक्ट्री या ऐसे बलों के अन्य संगठन] द्वारा;

(ख) इस अधिनियम के प्रवर्तन में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवायोजन के किसी व्यक्ति द्वारा;

किसी विस्फोटक के निर्माण, कब्जे, उपयोग, परिवहन या आयात के बारे में लागू नहीं होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार राजपत्र के अधिसूचना द्वारा; [1][किसी विस्फोटक या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग की इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के सभी या किन्हीं उपबंधों के] पूर्णतया या ऐसी बातों के अध्यधीन जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, अपवर्जित कर सकेगी।

15. आयुध अधिनियम, 1959 की व्यावृत्ति- वह अधिनियम की कोई बात [1][आयुध अधिनियम, 1959 (क्र. 54 सन् 1959)] के किसी स्थान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी :

परन्तु यह कि किसी विस्फोटक के निर्माण, कब्जे, बिक्री, परिवहन या आयात की अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने वाला कोई प्राधिकारी, यदि वह उसे नियमों के द्वारा जिनके अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई हो, इस संबंध में प्राधिकृत हो, अनुज्ञप्ति पर लिखित आज्ञा द्वारा यह निर्देशित कर सकेगा कि वह [1][xxx] आर्म्स ऐक्ट के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की भाँति प्रभावशील होगी।

16. अन्य विधि के अधीन दायित्व की प्रवृत्ति- इस अधिनियम या अधीन के नियमों की कोई बात, किसी व्यक्ति को उसके द्वारा ऐसे कार्य या लोप के लिये जो अधिनियम या उन नियमों के विरुद्ध अपराध बनाता हो, अन्य विधि के अधीन अभियोग चलाने से या किसी अन्य विधि में उपबंधित इस अधिनियम या उन नियमों की अपेक्षा उच्चतर या किसी अन्य शास्ति या दंड के लिये दायित्वाधीन होने से नहीं रोकेगी :

परन्तु यह कि उसी अपराध के लिये कोई व्यक्ति दो बार दंडनीय नहीं होगा।

1. अधिनियम क्र. 32 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित/विलोपित/अंतःस्थापित।

17. "विस्फोटकों" की परिभाषा का अन्य विस्फोटक पदार्थों तथा विस्तार- केन्द्रीय सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि कोई ऐसा पदार्थ जो उसके विस्फोटक स्वरूप या उसके निर्माण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के कारण मानव जीवन या सम्पत्ति के लिये विशेष रूप से भय उत्पादक है, विस्फोटक के दायित्वाधीन होने पर, इस अधिनियम के अभिप्राय के लिये विस्फोटक समझा जायेगा और इस अधिनियम के उपबन्ध (उन अपवादों, परिसीमाओं और निबंधनों के अधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जावे) उस पदार्थ के संबंध में उसी रीति से विस्तार किये गये माने जावेंगे मानो कि वह इस अधिनियम के अधीन पद "विस्फोटक" की परिभाषा में सम्मिलित हो।

[1][17-क. **शक्तियों का प्रत्यायोजन-** केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन, धाराओं 5, 6, 6-क, 14 और 17 के अधीन शक्तियों के अतिरिक्त उसके द्वारा प्रयोग या पालन किये जाने वाली कोई शक्ति या कृत्य ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे-

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी, या

(ख) ऐसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी; के द्वारा भी पालन या प्रयोग किया जायेगा।]

18. नियम के प्रकाशन और पुष्टिकरण करने की प्रक्रिया- (1) इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने वाला कोई प्राधिकारी, नियम बनाने से पहले, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की अधिसूचना के लिये प्रस्तावित नियमों का प्रारूप प्रकाशित करेगा।

(2) प्रकाशन रीति में किया जायेगा जो कि केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करे।

(3) प्रारूप के साथ वह दिनांक, जिसको या जिसके बाद प्रारूप विचारार्थ लिया जायेगा, विनिर्दिष्ट करते हुए, सूचना प्रकाशित की जावेगी।

(4) नियम बनाने वाला प्राधिकारी आपत्ति और सुझाव जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारूप के संबंध में ऐसी विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व दिये गये हों, प्राप्त करेगा और उन पर विचार करेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम तब तक प्रभावशील नहीं होंगे जब तक कि यह राजपत्र में प्रकाशित न हो जावें।

(6) इस अधिनियम के अधीन बनाने के लिये तात्पर्यित नियम का राजपत्र में प्रकाशन इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि ये सम्यक् रूप से बनाये गये हैं, और यदि वे मंजूरी के लिये अपेक्षित हों तो ये सम्यक् रूप से मंजूर किये जा चुके हैं।

(7) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त-नियम बनाने की समस्त शक्तियाँ समय-समय पर जैसा अवसर अपेक्षित करे, प्रयोग की जा सकेंगी।

[1][(8) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह सब में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिये जो एक या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि ऐसे सत्र या तुरन्त आगामी सत्र या उपरोक्त उत्तरवर्ती सत्रों के अवमान के पूर्व दोनों सदन सहमत हों कि नियमों में कोई उपान्तरण किया या दोनों सहमत हो जाते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, नियम तत्पश्चात् ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या यथास्थिति, प्रभावी नहीं रहेंगे, किन्तु फिर भी ऐसा उपान्तरण या बातिलीकरण उन नियमों के अधीन पूर्व में की गई बात की वैधता के प्रतिकूल नहीं होगा।]

---

1. अधिनियम क्र. 32 सन् 1978 द्वारा संशोधित।